न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 46 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. मृत. चतरा पुत्र सरदारा का.मु. 1/1कालूराम पुत्र चतरा 1/2जोगाराम पुत्र चतरा जाति खवास निवासी पादरू 1/3सुबटी पुत्री चतरा पत्नी फुआजी 1/4माया पुत्री चतरा पत्नी धनजी जातियान खवास निवासी मिठौड़ा 1/5अणसी पुत्री चतरा पत्नी वगताजी 1/6चौथकी पुत्री चतरा पत्नी छगनाजी जातियान खवास सभी निवासी सैला 2. मृतक मेगा पुत्र सरदारा का.मु. 2/1माला पुत्र मेगा 2/2अमरा पुत्र मेगा 2/3नपीया पुत्र मेगा जाति खवास निवासी पादरू 2/4शान्ती पुत्री मेगा पत्नी तगाजी जाति खवास निवासी सिराणा 2/5ढपी पुत्री मेगा पत्नी आसुजी जाति खवास निवासी सैला 3. मृतक अणदा पुत्र सरदारा का. मु 3/1ताराराम पुत्र अणदा 3/2गोपाराम पुत्र अणदा 3/3जोगाराम पुत्र अणदा जाति खवास सभी निवासी पादरू 3/4मीरा पुत्री अणदा पत्नी महेन्द्र जाति खवास 4. मृतक दौला पुत्र सरदारा का. मु. 4/1बादामी बेवा दौला	1. श्रीमती नेनु चिमना पत्नी भैराजी जाति खवास निवासी रूपीयार तहसील भीनमाल 2. मृतक कांकू पुत्री चिमनाजी का.मु. 2/1 बाबुलाल पुत्र सोना 2/2अनोप पुत्र सोना 2/3ग्यारसीदेवी पुत्री सोना जाति नोई सभी निवासीयान सिणधरी 3. मृतक मानीया उर्फ मानाजी के कायम मुकाम 3/1चूकी बेवा चूनीया 3/2ओगेडिया पुत्र चूनिया 3/3राजू पुत्र चूनिया जाति खवास निवासीयान पादरू 4. मृतक मानीया उर्फ मानाजी का.मु. 4/1मणीया पुत्र मानीया उर्फ माना 4/2कालिया पुत्र मानीया उर्फ माना 4/3सुजिया पुत्र मानीया उर्फ माना 4/4पाबूराम पुत्र मानीया उर्फ माना 4/5भावाराम पुत्र मानीया उर्फ माना जाति खवास निवासीगण पादरू तहसील सिवाना जिला बाड़मेर 5. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

मूल से मिलान किया सही पाया

फोटो कापी प्रमाणित प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

4/2राणी पुत्री दौला पत्नी रतनलाल जाति नाई निवासी पादरू

5. देवा पुत्र वगता जाति खवास निवासी पादरू
6. मृतक छोगा उर्फ छोगला पुत्र रावता का.मु.
   6/1सका पुत्र छोगा
   6/2अचला पुत्र छोगा जाति खवास निवासीयान ईटवाया
7. मृतक उका पुत्र रावता का.मु.
   7/1मांगा पुत्र उका
   7/2चम्पा पुत्र उका
8. मृतक पूंजीया पुत्र काछबा का. मु
   8/1पारू पत्नी पूंजीया
   8/2पारस पुत्र पूंजीया
   8/3बंशीया पुत्र पूंजीया
   8/4फूलीया पुत्र पूंजीया
   8/5अम्बीया पुत्र पूंजीया
   8/6रमीया पुत्र पूंजीया
   8/7राजिया पुत्र पूंजीया
   (रमीया व राजिया वालिग हो चुके है।)
   8/8बारसी पुत्री पूंजीया पत्नी दरगा जाति खवास निवासी रूचियार तहसील भीनमाल
   8/9लीला पुत्री पूंजीया पत्नी सदबाजी जाति खवास निवासी सिलोर
   8/10चौथकी पुत्री पूंजीया पत्नी पारस जाति खवास निवासी सैला
   8/11 कुमारी कविता पुत्री पूंजीया जाति खवास निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

मूल से मिलान किया सही पाया

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2010 वअनवान नेनू बनाम मृतक कांकू का.मु. बाबुलाल वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री कैलाश पुरी अपीलान्ट की ओर से।

फोटो कापी प्रमाणित प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

2. वकील श्री भूपेन्द्र गहलोत रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—30.09.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेंट संख्या 01 नेनूदेवी ने एक राजस्व वाद अपीलकर्तागण व रेस्पोडेंटस संख्या 2 ता 4 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि, खेत खसरा संख्या 941 रकबा 99 बीघा किस्म धोरा, सरहद मौजा पादरू तहसील सिवाना में आयी हुई है, उक्त भूमि वादीनी/रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 के पिता चमना के कब्जा काश्त खातेदारी की थी, वादग्रस्त भूमि में चमनाजी का 1/2 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 के हकपूर्वाधिकारीगण का था, स्व. प्रभुजी व काछराजी वादीनी के पिता चमना के 3–4 पीढी दूर रिश्ते के गौत्री भाई लगते थे, स्व. चमनाजी का देहान्त विगत सेटलमेंट के 2–3 वर्ष पहले वक्त जागीर में हुआ। स्व. चमनाजी के बाद वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीनी व उसकी माता श्रीमती लच्छा प्रतिवादी संख्या 01 व स्व. चमनाजी का पुत्र फुआ काबिज हुये। वक्त सेटलमेंट अर्थात संवत 2009 में वादग्रस्त कृषि भूमि की खतौनी में 1/2 हिस्से में वादीनी का भाई फुआ का नाम दर्ज अंकित किया गया। प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी 28/1 संवत 2009 साथ पेश की है। हस्तगत वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजात से नितान्त भिन्न व विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

मूल से मिलान किया गया पाया

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन नहीं कर मनमानी तरंग पर उक्त अवैध अनुचित व विधि विरूद्ध आदेश पारित कर विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि निर्णय या डिक्री जीवित व्यक्ति के विरूद्ध की जा सकती है, किन्तु वर्तमान प्रकरण में निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के विरूद्ध जारी की गई, विधि अनुसार मृत

फोटो कापी प्रमाणित प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

व्यक्ति के विरूद्ध जारी की गई, विधि अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित डिक्री आरम्भ से शून्य प्रभावत की होती है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर आई साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का सही तरीके से परिशीलन नहीं कर राजस्व विधि के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन कर अवैध व अनुचित तरीके से संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधि के सुस्थापित सिद्धांत की अवहेलना कर मनमाने तरीके से उक्त आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश करने के बाद भी संशोधित निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि खेत खसरा संख्या 941 रकबा 99 बीघा किस्म धोरा, सरहद मौजा पादरू तहसील सिवाना में आयी हुई है, उक्त भूमि वादीनी/रेस्पोडेंटस संख्या 01 व 02 के पिता चमना के कब्जा काश्त खातेदारी की थी, वादग्रस्त भूमि में चमनाजी का 1/2 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 के हकपूर्वाधिकारीगण का था, स्व. प्रभुजी व काछराजी वादीनी के पिता चनना के 3–4 पीढी दूर रिश्ते के गौत्री भाई लगते थे, स्व. चमनाजी का देहान्त विगत सेटलमेंट के 2–3 वर्ष पहले वक्त जागीर में हुआ। स्व. चमनाजी के बाद वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीनी व उसकी माता श्रीमती लच्छा प्रतिवादी संख्या 01 व स्व. चमनाजी का पुत्र फुआ काबिज हुये। वक्त सेटलमेंट अर्थात संवत 2009 में वादग्रस्त कृषि भूमि की खतौनी में 1/2 हिस्से में वादीनी का भाई फुआ का नाम दर्ज अंकित किया गया। स्व. चमनाजी व उनकी बेवा श्रीमती लच्छु व वादीनी द्वारा संयुक्त अदा की जाती रही। स्व. चमनाजी व उनकी बेवा श्रीमती लच्छु व उसका पुत्र फुआ व वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 सभी हिन्दू है तथा मिताक्षरा विधि से शासित होते है वादीनी के भाई फुआ के जीवनकाल में ही उसकी पत्नी का देहान्त हो गया, उसके कोई संतान नहीं हुई। वर्ष में 2022 में अर्थात दिनांक 17.06.1956 के बाद फुआ की मृत्यु हो गई तदोपरान्तु उसकी माता लच्छु व वादीनी कृषि भूमि पर काबिज रहकर काश्त करती रही। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त कब्जा काश्त बहैसियत प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के निकटतम उतराधिकारी के नियम से सतत कायम रहा व है। अपीलांटगण ने राजस्व कर्मचारियों से अनैतिक सांठ–गांठ कर वादीनी की माता की मृत्यु के वाद अपीलाधीन आराजी में हकपूर्वाधिकारी के नाम से गलत तौर से अपने नाम नामांतकरण भरवा दिया। हस्तगत वाद सन 2000 में पेश किया गया जिसमें विस्तृत सुनवाई के बाद वादीनी/रेस्पोडेंटस के पक्ष में डिक्री पारित की गई।

मूल से मिलान किया गया पाया

फोटो कापी प्रमाणित प्रतिलिपि

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारित फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृतक के विरूद्ध पारित की गई जो प्रारम्भ से ही शून्य है। प्रतिवादी संख्या 01 कांकू ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी तरफ से पेश जबाव दावे में किसी भी प्रकार का काउंटर क्लेम पेश नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने जबाव दावे में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 01 ने किसी तरह का दावा पेश नहीं किया है न दावा करने की अनुमति दी है वादीनी अकेले को प्रतिवादी संख्या 01 की और से दावा करने का कोई अधिकार नही है। उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में डिक्री पारित की गई जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में तीन तनीकियात कायम की गई जबकि निर्णय पृथक–पृथक तनकीवार पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि की मंशा के विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11.04.2022 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.04.2022 को हस्तगत अपील पेश की गई इस दरम्यान वादीनी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.06.2022 को एक आवेदन धारा 151, 152 सी पी सी का पेश किया गया जिसमें अपीलांटगण को कोई सूचना/नोटिस दिये बिना दिनांक 06.06.2022 को संशोधित निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संशोधित निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त मूल डिक्री में रही कानूनी कमियों को स्वीकार किया गया। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 14/2010 बआनवान नेनू बनाम मृतक कांकू का.मु.

फोटो कापी प्रमाणित प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बाबुलाल वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.04.2022 व 06.06.2022 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जावे। हस्तगत वाद में पूर्व में कायम की गई तनकीयात के अनुसार तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। हस्तगत प्रकरण वर्ष 2000 से लम्बित है जो काफी पुराना हो गया है इसलिए विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है किवह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियम कर प्रकरण का शीघ्रातिशीघ्र निर्णित करने का प्रयास करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.11.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मूल से मिलान किया सही पाया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

फोटो कापी प्रमाणित प्रतिलिपि
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर